न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 325/14

महेश बज पुत्र श्री नाथूलाल बज जाति जैन निवासी मानटाउन बजरिया सवाई माधोपुर

अपीलांटान

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील सवाई माधोपुर

रेस्पोटेडान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु0न0 878/12 निर्णय दिनांक 3.11.14 एवं तहसीलदार सवाई माधोपुर मु0न0 737/12 निर्णय दिनांक 21.8.12)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री आशीष जैन
2. रेस्पोटेटान की और से पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 03.10.2019

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के मु0न0 878/12 निर्णय दिनांक 3.11.14 एवं न्यायालय तहसीलदार सवाई माधोपुर के प्रकरण संख्या 737/12 दिनांक 21.8.12 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मे अपीलांट द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 21.8.12 के विरूद्व प्रथम अपील इस आशय की पेश की थी कि ग्राम आलनपुर मे स्थित भूमि सिवायचक आराजी खसरा न0 435 रकबा 0.03 है0 , ख0न0 436 रकबा 0.10 है0 पर सम्वत 2069 मे अनाधिकृत रूप से भूमि पर बोरिंग, चददपोंस अहाता व गार्डन लगाकर अतिक्रमण कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने व सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किये जाने से व्यथित होकर अपींलाट द्वारा प्रथम अपील जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के यहॉ पेश की गई थी। जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलांट की अपील खारिज की जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर के निर्णय का यथावत रखने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि तहसीलदार सवाई माधोपूर द्वारा मनमानी होने के साथ साथ नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने का कारण मंसूखी है। साथ ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार की पत्रावली पर उपलब्ध स्पष्ट स्थिति के बाबजूद आदेश तहसीलदार को एम पक्ष्जीय न मानकर नोटिस की पुश्त पर दस्तखत होना मानकर लायक अदालत जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा गलत व मनमानी तजवीज पारित की है। जो हर

Scanned by CamScanner

सूरत मे काबिले मंसूखी है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा अपीला।ट को बिना कोई सूचना, नोटिस दिये बिना सम्यक तामिल कराये मनमाने ढग से एक पक्षीय रूप मे कतई खिलाफ कानून पारित किया गया गया है। निरस्त योग्य है। अपीलांट को जारी नोटिस पर अपीलांट के कही भी हस्ताक्षर नही है ना ही नोटिस की पुश्त पर किसी के हस्ताक्षर है। इसके बाबजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की पुश्त पर अपीलांट के हस्ताक्षर मानकर जो निर्णय पारित किया गया है वह निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार के यहॉ पटवारी हल्का द्वारा मिथ्या व झूठी रिपोर्ट पेश की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारास एक पक्षीय असत्य साक्ष्य के आधार पर अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर के समक्ष हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तो के उल्लंघन को आरंभिक तौर पर मानकर 11.12.2012 को तहरीर जारी कर विवादित भूमि का मौका देखकर मौका रिपोर्ट पत्रावली के साथ हमफीता कर भेजे जाने का का आदेश तहसीलदार सवाईमाधोपुर को दिया था जिसकी पालना तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपील के निर्णय होने तक नही की गई है। इस हेतु अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के यहॉ वरवक्त उज्र आपत्ति लेकर तहसीलदार से विवादित भूमि का मौका देखकर मौका रिपोर्ट पेश करने निवेदन किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर द्वारा नजर अन्दाज कर दिया गया । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को ख0न0 435 व 436 रकबा 0.13 है0 पर अतिकमी मानकर शास्ति व सिविल कारावास का आदेश दिया है जबकि वास्तविकता यह है कि ख0न0 435 व 436 के किसी भी हिस्से पर अपीलांट का कभी कोई कब्जा नही रहा है। ना ही है ना ही रहेगा। अधिनस्थ न्यायालय के विरूद्व श्रीमती सलमा पत्नि मोहम्मद सलीम ने एक सिविल वाद अतिरिक्त सिविल जज(क,ख) सवाईमाधोपुर के समक्ष पेश कर रखा है जिसमे अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सवाईमाधोपुर ने ख0न0 435 पर श्रीमती सलमा का अतिक्रमण बताते हुए जवाब पेश किया है एवं अतिरिक्त्त सिविल जज (क,ख) सवाई माधोपुर ने अपने आदेश दिनांक 26.6.12 के जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर को स्थिति यथावत के आदेश से ताफैसला दावा पाबन्द फरमाया हुआ है।इस प्रकार उक्त सिविल वाद मे स्वयं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सवाईमाधोपुर ने ख0न0 435 पर श्रीमती सलमा का अतिक्रमण बताया है, और आदेश जैर अपील मे अपीलांट का अतिक्रमण पटवारी के बयान से ताईद होना मानकर कतई खिलाफ कानून तजवीज पारित की है जो निरस्त योग्य है। ख0न0 435 व 436 पर अपीलांट का कभी कोई कब्जा नही रहा है। अपीलांट की पत्नि ख0न0 530/3207,539,540 व 541 की भूमि मे अपने हिस्से अनुसार काबिज है। अपीलांट का विवादित आराजीयात ख0न0 435 व 436 से किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है। वर्तमान मे विवादित आराजीयात नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर दोनो अधिनस्थ न्यायालयो के निर्णयो को अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता पैरोकार सरकार ने बहस अपील मे बताया कि विवादित आराजीयात की किस्म भूमि सिवायचक दर्ज है। पटवारी हल्का की अतिक्रमण की रिपोर्ट के पश्चात ही

Scanned by CamScanner

तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है, जो बाद तामिल प्राप्त होने के बाबजूद भी अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सवाईमाधोपुर के यहॉ उपस्थित नही हुआ है। ना ही उसका कोई प्रतिनिधी उपस्थित हुआ है। इस कारण की अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही अपीलांट के विरूद्व अमल मे लाई गई है। अपीलांट के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिक्रमी की रिपोर्ट पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं पूर्व रिकार्ड से बखूबी साबित है। अपीलांट द्वारा पूर्व मे भी अतिक्रमण किया गया है जिसका निर्णय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा मिसल न0 2120 दिनांक 19.9.11 के द्वारा किया गया है। इस प्रकार अपीलांट बार बार अतिक्रमण करने से पश्चातवर्ती अतिक्रमी बखूबी साबित है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालयो द्वारा जो निर्णय पारित किये गये है। वह विधि अनुरूप है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी एवं विद्वान पैरोकार सरकार द्वारा बहस मे प्रस्तुत तर्को पर मनन करने व पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि पटवारी हल्का आलनपुर द्वारा प्रश्नगत आराजी पर अपीलार्थी द्वारा अनाधिकृत कब्जे की रिपोर्ट तहसीलदार सवाईमाधोपुर को किये जाने पर तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 8.8.12 को जारी किया गया। जिसमे अपीलार्थी को 21.8.12 को उपस्थित होने की अपेक्षा की गई। नोटिस की प्रति स्वयं अपीलांट के द्वारा प्राप्त की गई। अतः नोटिस की तामिल विधिक रूप से की गई है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण पटवारी की रिपोर्ट से स्पष्ट है। इसे भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा अभिशंषित भी किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर वक्त वयानात पश्चातवर्ती अतिक्रमण नही होने के संबंध मे अपना पक्ष भी प्रस्तुत नही किया गया है। अतः पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना भी बखूबी साबित है। अतः अधिनस्थ न्यायालयो द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसके हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर मु0न0 878/12 निर्णय दिनांक 3.11.14 एवं तहसीलदार सवाई माधोपुर मु0न0 737/12 निर्णय दिनांक 21.8.12 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

3.10.19

(बी0एल0 रमण)

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2019.11.18 14:37:40 IST
Reason: SelfAttested
Location: